

निय.फौज.प्र.सं.: 126 / 2025(372 / 2025) सरकार बनाम अरमान खान
निर्णय दिनांक 16.03.2026

न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम— 01 छबडा जिला बारां राज0 पीठासीन अधिकारी — संयोगिता, आर.जे.एस.	
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या — 126 / 2025	
सीआईएस नंबर — 372 / 2025	
सीएनआर नंबर — RJBR070007662025	
निर्णय की तारीख 16.03.2026 (प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण— पुलिस थाना छबडा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47 / 2025 अपराध अंतर्गत धारा 85, 316(2) बीएनएस)	
परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि किशोर जोनवाल
अभियुक्त	अरमान पुत्र अफसर खान उम्र 26 वर्ष निवासी आकाश नगर छबडा जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राकेश गालव, विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	12.09.2024 से 29.01.2025
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	29.01.2025
आरोप पत्र पेश करने की तारीख	19.06.2025
आरोप विरचना की तारीख	20.12.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	16.03.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	16.03.2026
निर्णय तारीख	16.03.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निल

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	अरमान	निल	निल	85, 316(2) बीएनएस	दोषमुक्त	निल	निल

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयनी साक्षियों की सूची

(क)अभियोजन—

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
PW-1	मुबीना	पीड़िता / फरियादिया

निय.फौज.प्र.सं.: 126 / 2025(372 / 2025) सरकार बनाम अरमान खान
निर्णय दिनांक 16.03.2026

PW-2	रईस	ताईदकर्ता पुलिस बयान
------	-----	----------------------

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो-

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो-

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन-

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	पुलिस बयान गवाह मुबीना
2	P2	इस्तगासा
3	P3	चाक एफआईआर
4	P4	फर्द सुपुर्दगी दहेज सामान
5	P5	पुलिस बयान गवाह रईस

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श-

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श-

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श-

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

निर्णय दिनांक- 16.03.2026

01- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया मुबीना द्वारा न्यायालय में इस आशय का इस्तगासा पेश किया गया कि परिवादिया का विवाह 11.03.2026 को मुस्लिम रिति रिवाज के अनुसार कस्बा छबडा में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद से ही परिवादिया अपने ससुराल में आकर रहने लगी। कुछ दिन तक अच्छे से रखने के बाद अभियुक्त द्वारा परिवादिया को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाने लगा। उसे घर से निकाल दिया गया एवं दहेज की पूर्ति के बिना घर में आने से मना कर दिया।.....इत्यादि।

02- उक्त इस्तगासे पर न्यायालय के आदेश अंतर्गत धारा 175(3) बीएनएसएस की पालना में पुलिस थाना छबडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. **47 / 2025** अपराध अंतर्गत धारा **85, 316(2) भारतीय न्याय संहिता** में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त **अरमान** के विरुद्ध धारा **85, 316(2) भारतीय न्याय संहिता** में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराध की धाराओं में आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त **अरमान** के विरुद्ध धारा **85, 316(2) भारतीय न्याय संहिता** के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को धारा **85, 316(2) भारतीय न्याय संहिता** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें सुन समझकर अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03- दौराने विचारण फरियादिया एवं अभियुक्त ने अपने मध्य धारा **316(2) भारतीय न्याय संहिता** में राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद जांच पृथक से तस्दीक किया गया तथा **316(2) भारतीय न्याय संहिता** में राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाकर अभियुक्त अरमान को धारा **316(2) भारतीय न्याय संहिता** के अपराध के आरोप में बरूए राजीनामा दोषमुक्त छ गोषित किया जाता है। अतः अब अभियुक्त के विरुद्ध धारा **85 भारतीय न्याय संहिता** का अपराध शेष बचता है, जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 व पी0ड0 2 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 ता 5

दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया।

04— अभियुक्त को धारा 351 बीएनएसएस के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

05— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया।

06— बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

07— जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य धारा **316(2) भारतीय न्याय संहिता** में राजीनामा हो चुका है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध शेष रहे अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

08— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि –

01. क्या अभियुक्त अरमान ने अपनी पत्नी मुबीना को अपने निवास स्थान छबडा में विवाह के कुछ समय के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

02. यदि हां, तो अभियुक्त का उचित दंड क्या होगा ?

09— प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त **अरमान** के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा **85, 316(2) भारतीय न्याय संहिता** के तहत आरोप लगाये गये थे परन्तु दौराने अन्वीक्षा फरियादी पक्ष तथा मुल्जिम पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त **अरमान** को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **316(2) भारतीय न्याय संहिता** के लिए राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अब प्रकरण में अभियुक्त **अरमान** के खिलाफ केवल अपराध अंतर्गत धारा **85 भारतीय न्याय**

संहिता का आरोप शेष है जिसके लिए उसका विचारण होना है। उक्त आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है जिसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने बतौर जुबानी साक्ष्य केवल दो गवाह पीडब्लू 1 मुबीना तथा पीडब्लू 2 रईस को परीक्षित करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत 5 को प्रदर्शित करवाया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन के समर्थन में गवाह पीडब्लू 1 मुबीना जो कि स्वयं परिवारिया/पीड़िता होकर मामले की सबसे अहम गवाह है वह अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन करती है कि उसकी शादी अरमान के साथ 2023 में हुई थी। उसके माता-पिता ने शादी में उसे घर-गृहस्थी का सारा सामान दिया था तथा ससुराल भेज दिया था। अरमान उसे ठीक से रखता था, दहेज की मांग नहीं करता था ना ही कोई मारपीट करता था। उसने गलतफहमी में आकर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह किये जाने पर उक्त गवाह प्रदर्श पी 1 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार करती है। प्रदर्श पी 2 इस्तगासा तथा प्रदर्श पी 3 चाक एफआईआर पर ए से बी स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की पुष्टि करती है। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने अपना सारा सामान थाने से जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 प्राप्त कर लिया है, शादी का सारा सामान उसके पास ही है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह कथन करती है कि उनका राजीनामा हो गया है। उक्त गवाह प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह होकर अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं करती है।

गवाह पीडब्लू 2 रईस मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसकी बेटी की शादी अरमान के साथ 2023 में हुई थी। उसने शादी में मुबीना को घर-गृहस्थी का सारा सामान दिया था तथा ससुराल भेज दिया था। अरमान उसे ठीक से रखता था, दहेज की मांग नहीं करता था, न ही मारपीट करता था। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह किये जाने पर उक्त गवाह प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार करता है एवं फर्द सुपुदर्गी प्रदर्श पी 4 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताता है। उक्त गवाह द्वारा भी मुबीना और अरमान के मध्य राजीनामा होना जाहिर किया है।

इस प्रकार गवाह पीडब्लू 1 स्वयं परिवारिया ने ही अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे मुल्जिम के खिलाफ शेष रहे आरोप की पुष्टि होती है। इसी प्रकार परिवारिया के पिता द्वारा भी इस आशय के कोई कथन

नहीं किये गये हैं कि अभियुक्त फरियादिया से दहेज की मांग अथवा मारपीट करता हो।

अतः अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित प्रकरण की उक्त सबसे महत्वपूर्ण गवाह ने ही अभियुक्त के विरुद्ध शेष रहे आरोप को प्रमाणित करना तो दूर उसके खिलाफ लगे किसी भी आरोप को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में लेशमात्र भी कथन नहीं किया है।

10— इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करते। इन सब के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी या पक्षकथन की किसी प्रकार से पुष्टि करती हो।

11— इस प्रकार प्रकरण में आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में मुख्य विचारणीय बिन्दु संख्या 1 "अभियुक्त अरमान ने अपनी पत्नी मुबीना को अपने निवास स्थान छबडा में विवाह के कुछ समय के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया " को अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में उसके विरुद्ध शेष रहे अपराध अंतर्गत धारा 85 भारतीय न्याय संहिता के लिए दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

— :: आदेश :: —

12— अतः अभियुक्त अरमान पुत्र अफसर खान उम्र 26 वर्ष निवासी आकाश नगर छबडा जिला बारां राज. को साक्ष्य के अभाव में उसके विरुद्ध शेष रहे अपराध अंतर्गत धारा 85 भारतीय न्याय संहिता से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13— अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10-10 हजार रुपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करायेगा जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी

06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

14— प्रकरण में अभियुक्त अरमान को धारा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के लिए पूर्व में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कम— 01 छबड़ा जिला बारां राज.

15— आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कम— 01 छबड़ा जिला बारां राज.